कार्यालय नगर निगम मथुरा–वृन्दावन, मथुरा

दिनांक: २६/०९/२०२४

पत्रांक : 185 / अ0न0आ0 / नि0वि0 / न0नि0म0वृ0, (वृन्दावन जोन) / 2024–25

सेवा में

सचिव
मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण मथुरा।

विषयः– अनापत्ति प्रमाण–पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

मैसर्स ओम बिल्डकॉम द्वारा श्रीकृष्ण कुमार चौबिया पुत्र श्री राम नरेश निवासीः– 40 सेक्टर–4 श्री राधापुरम स्टेट गणेशरा मथुरा एवं श्री प्रभात कुमार चतुर्वेदी पुत्र स्व0 श्री सुन्दर श्याम जी चतुर्वेदी निवासीः– डैम्पीयर नगर मथुरा के द्वारा वृन्दावन स्थित खसरा सं0 372, 361, 365, 410, 345, 343, 368, 369, 375 व 385 का भाग मौजा जैंत तहसील व जिला मथुरा में पत्रावली मे संलग्न रजिस्टर्ड बैनामा / खतौनी के अनुसार 100445.54 वर्गमीटर भूमि में से / उक्त भूमि के मध्य नाली, चकमार्ग, रास्ते की भूमि को छोडकर शेष भूमि में भवन निर्माण / प्लांटिंग हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग की गयी है। उक्त के क्रम में तहसीलदार, सदर, मथुरा कार्यालय की प्राप्त आख्या दिनांक 02.08.2024 एवं राजस्व निरीक्षक (नजूल), नगर निगम मथुरा–वृन्दावन, वृन्दावन जोन की आख्या दिनांक 14.08.2024 के अनुसार खसरा सं0 372, 361, 365, 410, 345, 343, 368, 369, 375 व 385 का भाग मौजा जैंत भूमि का कुल रक़वा 100445.54 वर्गमीटर भूमि में से / मध्य खसरा नं0 409मि0 में रकवा 0.030 है0, 411 में रकवा 0.085 है0, 404मि0 में रकवा 0.040 है0, 364मि0 में रकवा 0.035 है0, 370 में रकवा 0.048 है0, 374 में रकवा 0.060 है0, 386 में रकवा 0.060 है0, 387मि0 में रकवा 0.020 है0 भूमि चकमार्ग की तथा खसरा नं0 367 में 0.018 है0, 363 में रकवा 0.042 है0, 373 मे रकवा 0.033 है0, 376मि0 में रकवा 0.025 है0, व 371 में रकवा 0.041 है0, भूमि नाली की छोडकर शेष भूमि सरकारी, नगर निगम, नजूल, रास्ते आदि की नही है तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये शपथ पत्र दिनांक 02.06.2024, 05.06.2024 व 15.07.2024 एवं 07.09.2024 के विपरीत तथ्य पाये जाने पर अनापत्ति स्वतः ही निरस्त मानी जाएगी। अतः तहसीलदार, सदर, मथुरा कार्यालय की प्राप्त आख्या दिनांक 02.08.2024 एवं राजस्व निरीक्षक (नजूल), नगर निगम मथुरा–वृन्दावन, वृन्दावन जोन की आख्या दिनांक 14.08.2024 के आधार पर अनापत्ति निम्नलिखित शर्तो के प्रदान की जाती है।

1– आवेदक की भूमि के मध्य खसरा नं0 409मि0 में रकवा 0.030 है0, 411 में रकवा 0.085 है0, 404मि0 में रकवा 0.040 है0, 364मि0 में रकवा 0.035 है0, 370 में रकवा 0.048 है0, 374 में रक़वा 0.060 है0, 386 में रकवा 0.060 है0, 387मि0 में रकवा 0.020 है0 भूमि चकमार्ग की कुल भूमि रकवा 0.3780 है0 एवं खसरा नं0 367 में 0.018 है0, 363 में रकवा 0.042 है0, 373 मे रकवा 0.033 है0, 376मि0 में रकवा 0.025 है0, व 371 में रकवा 0.041 है0, भूमि नाली का कुल भूमि रकवा 0.1590 है0 कुल चकमार्ग / सरकारी / नाली भूमि का कुल रकबा 0.5370 है0 भूमि है। जो सार्वजनिक उपयोग के लिये है। उक्त सार्वजनिक भूमि को आवेदक द्वारा किसी भी रूप में अवरूद्व / अतिक्रमित नही किया जायेगा। उक्त सार्वजनिक भूमि जिस उपयोग की है उसी उपयोग में रहेगी।

2– तहसीलदार, सदर मथुरा, कार्यालय, मथुरा की प्राप्त आख्या दिनांक 02.08.2024 एवं राजस्व निरीक्षक (नजूल) नगर निगम मथुरा–वृन्दावन, (वृन्दावन जोन) की प्राप्त आख्या दिनांक 14.08.2024 के अनुसार आवेदित भूमि सरकारी, नगर निगम, नजूल / रास्ते आदि की नही है एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये शपथ पत्र दिनांक 02.06.2024, 05.06.2024 व 15.07.2024 एवं 07.09.2024 के अनुसार उक्त भूमि के सम्बन्ध में कोई वाद विवाद किसी भी न्यायालय में विचाराधीन / लंबित नही है। शपथकर्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये शपथ पत्र दिनांक 02.06.2024, 05.06.2024 व 15.07.2024 एवं 07.09.2024 के विपरीत तथ्य पाये जाने पर अथवा उक्त भूमि के विरूद्व मा0 न्यायालय द्वारा आदेश पारित किये जाने पर दी गई अनापत्ति स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी।

3– शासनदेश संख्या 3086 / 9–आ–3–04–33का / 2004 आवास एवं शहरी नियोजन / अनुभाग–3 लखनऊ दिनांक 06 अगस्त 2004 बिन्दु सं0 04 के अनुसार नगर निगम की भूमि / मार्ग का उपयोग निर्माणकर्ता द्वारा सामग्री अम्बार करने की दशा में वह सम्बन्धित अभिकरण द्वारा मानचित्र अवमुक्त होने की तिथि से देय शुल्क तथा उस पर 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज (अर्द्व वार्षिक चक्रवृद्वि) ब्याज सहित सम्बन्धित अभिकरण की निधि में, मांग पत्र निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर एकमुश्त जमा करेगा।

4– उक्त वर्णित मांग का सन्यक अनुपालन न होने की स्थिति में सम्पूर्ण देयकों की वसूली राजस्व के बकाये की भॉति चक्रबृद्वि ब्याज सहित वसूल की जायेगी।

5– उक्त भूमि के प्रत्येक भूखण्ड पर मानचित्र स्वीकृत करते समय बसूला जाने वाला अम्बार शुल्क / मलवा शुल्क नगर निगम को हस्तान्तरित करना होगा।

6– आवेदक की भूमि के स्वामित्व की जॉच प्राधिकरण स्तर पर किंया जाना उचित होगा।

अपर नगर आयुक्त
नगर निगम मथुरा–वृन्दावन

प्रतिलिपिः–

1. मैसर्स ओम बिल्डकॉम द्वारा श्रीकृष्ण कुमार चौबिया पुत्र श्री राम नरेश निवासीः– 40 सेक्टर–4 श्री राधापुरम स्टेट गणेशरा मथुरा एवं श्री प्रभात कुमार चतुर्वेदी पुत्र स्व0 श्री सुन्दर श्याम जी चतुर्वेदी निवासीः– डैम्पीयर नगर मथुरा।

अपर नगर आयुक्त
नगर निगम मथुरा–वृन्दावन

महोदय,

संलग्न पत्र कार्यालय नगर निगम मथुरा वृन्दावन पत्रांक 79/अ0ना0आ0/नि0वि0/न0नि0म0वृ0 (वृन्दावन जोन) दिनांक 19.06.2024 पर पारित आदेश के कम में आख्या निम्न प्रकार है:–

ग्राम जैत की भूमि खसरा संख्या 372, 361, 365, 410, 345, 343, 368, 369, 375 व 385 के सम्बन्ध में भूमि की श्रेणी एंव भूमि किसके नाम है तथा सरकारी, नगर निगम, नजूल, रास्ते आदि की नही है, भूमि के विरूद्व कोई वाद किसी मा0 न्यायालय में वाद विचाराधीन तो नही है, के सम्बन्ध में राजस्व अभिलेखों के अनुसार आख्या चाही गई है।

संदर्भित भूमि स्थित ग्राम जैंत खसरा संख्या 372, 361, 365, 410, 345, 343, 368, 369, 375 व 385 संकमणीय भूमिधर के रूप में खातेदारों के नाम दर्ज कागजात है उक्त भूमि सरकारी, नगर निगम, नजूल रास्ते आदि की नही है, संलग्नक शपथपत्र के अनुसार उक्त भूमि को लेकर किसी न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन नही है।

उपरोक्त भूमि के मध्य नाली, चकमार्ग, रास्ते के रूप में नगर निगम के प्रबन्धन की भूमि के सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है, कि संदर्भित भूमि के मध्य आने वाली नाली, चकमार्ग आदि नगर निगम की भूमि पर मेरे द्वारा कोई निर्माण/प्लॉटिंग नही की जायेगी। तथा उक्त भूमि जिस प्रयोजन की भूमि है उसी प्रयोजनार्थ उपयोग में लाई जायेगी।

उक्त भूमि के सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र में अंकित बिन्दुओं में किसी भी प्रकार का तथ्य यदि छुपाया गया है अथवा असत्य पांया जाता है, तो आख्या स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

नियमानुसार अनापत्ति दिये जाने हेतु आख्या सादर सेवा में प्रेषित है।

01-08-2024

महोदय
लेखपाल आख्या सादर प्रेषित।

01-8-24
R.I.

महोदय, रा0नि0 आख्या अवलोकनार्थ

01-08-24
तहसीलदार
मथुरा

अपर नगर आयुक्त महोदय

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि मौजा जैत के खसरा नं 372, 361, 365, 410, 345, 343, 368, 369, 375 व 385 में प्लाटिंग एवं भवन निर्माण हेतु प्रार्थी मैसर्स ओम बिल्डकॉन द्वारा श्री [illegible] कुमार चौनिया पुत्र श्री रामनरेश नि० 40 सेक्टर-4 श्री राधापुरम स्टेट गनेशरा मथुरा व प्रभात कुमार चतुर्वेदी पुत्र स्व० [illegible] चतुर्वेदी नि० डैम्पियर नगर मथुरा, द्वारा नगर निगम मथुरा से अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग की है,

प्रस्तावित भूमि में प्रार्थी [illegible] गण के नाम मौजा जैत की खतौनी में दर्ज [illegible] अभिलेख दर्ज है। उक्त खसरा नं में से रकबा 104445.54 वर्गमी० की अनापत्ति आवेदन चाही गयी है। प्रस्तावित भूमि के बीच खसरा नं० 409 मि/0.030 हे०, 411/0.085 हे०, 404 मि०/0.040 हे०, 384 मि०/0.035 हे० 370/0.048 हे०, 374/0.060 हे०, 386/0.060 हे० व ख०नं० 387 मि/0.020 हे० मार्ग व चकमार्ग तथा ख०नं० 367/0.018 हे०, 363/0.042 हे०, 373/0.053 हे०, 376 मि०/0.025 हे० व 3[illegible]/0.041 हे० नाली आ रही है जो नगर निगम की सरकारी भूमि है प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित भूमि के मध्य आने वाली नगर निगम की सरकारी भूमि नाली व चकमार्ग को छोड़कर शेष भूमि पर निर्माण / प्लाटिंग करने का नोटरी शपथपत्र दिया है तथा नगर निगम की सरकारी भूमि जिस प्रयोजन की भूमि है उसी प्रयोजन के प्रयोग में ली जायेगी का भी शपथ पत्र दिया है। भूमि निर्विवाद है। का शपथ पत्र में उल्लेख प्रार्थी द्वारा किया है

अतः नगर निगम की सरकारी भूमि को उसी रूप में उपयोग किये जाने एवं सरकारी भूमि को छोड़कर प्लाटिंग / भवन निर्माण हेतु अनापत्ति आज्ञा इस शर्त के साथ उचित है कि [illegible] शपथपत्र में वर्णित तथ्यों के विपरीत पाये जाने पर अनापत्ति आज्ञा स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी।

आज्ञा हित में [illegible] है

[signature]
14-8-24

महोदय,

लेखपाल आख्या सादर प्रेषित।

[signature]

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

IN-UP49914724522300X

e-Stamp

Certificate No.	:	IN-UP49914724522300X
Certificate Issued Date	:	18-Nov-2025 04:33 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14791404/ MATHURA SADAR/ UP-MTH
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP1479140496695371377293X
Purchased by	:	OM BUILDCOM
Description of Document	:	Article 4 Affidavit
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	OM BUILDCOM
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	OM BUILDCOM
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	100 (One Hundred only)

सत्यमेव जयते

NOTARIAL

IN-UP49914724522300X

आदरणीय सचिव महोदय,

उत्तर प्रदेश रेरा , राज्य नियोजन संस्थान

नवीन भवन कालाककर हाउस , पुराना हैदराबाद

लखनऊ , उत्तर प्रदेश

शपथपत्र - मिनजानिब ओम बिल्डकॉम पार्टनर प्रदीप कुमार अग्रवाल , पता - श्री वृंदा ओर्चिड कॉलोनीमौजा , - जैत, मथुरा

उपरोक्त शपथकर्ता शपथपूर्वक निम्नलिखित बयान करता है :-

1- यह कि मैं शपथकर्ता उपरोक्त पते का स्वामी निवासी हूँ।

2- यह कि शपथकर्ता द्वारा मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण, मथुरा से श्री वृंदा ओर्चिड कॉलोनीमौजा - जैत, मथुरा का मानचित्र स्वीकृत कराया है , उक्त मानचित्र में दर्शायी गयी नाली व चकरोड की भूमि पर मुझ शपथकर्ता द्वारा कभी भी किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया जायेगा।

3- यह कि शपथकर्ता द्वारा मानचित्र में दर्शायी गयी नाली स्थित जैत खसरा संख्या 365 – 1 मी * 127.96 मी , खसरा संख्या 366 – 1 मी * 104.55 मी , खसरा संख्या 371 – 1 मी * 273.72 मी , खसरा संख्या 370 – 1 मी * 59.70 मी व खसरा संख्या 373 – 1 मी * 161.66 मी यानी कुल 655.77 वर्ग मीटर भूमि हमारी परियोजना में है।

4- यह कि शपथकर्ता द्वारा मानचित्र में दर्शायी गयी नाली की भूमि पर पक्की नाली या ह्यूम पाइप का कार्य कराएगा तथा उक्त नाली पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं करेगा उक्त नाली सार्वजनिक भूमि है तथा इस नाली को सार्वजनिक प्रयोग में ही लिया जायेगा।

5- यह कि शपथकर्ता द्वारा मानचित्र में दर्शायी गयी चकरोड स्थित जैत खसरा संख्या 361 – 09 मी खसरा संख्या 370 – 09 मी, खसरा संख्या 374 – 09 मी व खसरा संख्या 413 – 09 मी यानी कुल 1058.53 वर्ग मीटर भूमि हमारी परियोजना में है।

6- यह कि शपथकर्ता द्वारा मानचित्र में दर्शायी गयी चकरोड की भूमि सार्वजनिक भूमि है तथा इसको सार्वजनिक प्रयोग में ही लिया जायेगा।

सत्यापन :- मैं शपथकर्ता शपथपूर्वक सत्यापित करता हूँ कि पैरा 1 लगायत 6 मेरे जातीय जानकारी में सही व सच है। इसमें कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। ईश्वर मेरी मदद करे।

दिनांक – 14.11.2025

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

(प्रदीप कुमार अग्रवाल)

पार्टनर

The contents of the affidavit document read over & Explained Shri...... who is identified by Shri...... & on ...... today on...... at my office & ...... down in the register at ...... charged fees......

Babita Agrawal Advocate
Notary Public, Mathura

I Know Shri/Smt...... He/She Has Signed before

Sig Identity

Scanned with OKEN Scanner